

मां-बेटी पर तेजाब फेंकने के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

कोर्ट की मार्मिक टिप्पणी “तेजाब सिर्फ शरीर नहीं, सपनों और ज़िंदगी को भी जला देता है”

अजमेर, (कासं)। इंसानियत को झुकझोर देने वाले एक दर्दनाक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चित्तौड़गढ़ में एक मासूम बच्ची और उसकी मां पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को अजमेर की महिला उत्पीड़न अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश उत्तमा माथुर ने दोषी मोहम्मद इस्माइल को आजीवन कारावास के साथ दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित करते हुए समाज को एक सख्त संदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार यह घटना उस वक्त की है जब पीड़िता अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ अजमेर से चित्तौड़गढ़ पहुंची थी। सुबह के समय दोनों रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक के पास शौचालय की ओर जा रही थी। तभी अचानक आरोपी ने मासूम बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। बेटी की चीख सुनकर जब मां उसे बचाने दौड़ी, तो दर्रिंदे ने उस पर भी तेजाब उंडेल दिया। इस निर्मम हमले ने एक बच्ची की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। एक मां की ममता और एक बेटी के सपने उसी पल धूलकर राख हो गए। दर्द सिर्फ शरीर तक सीमित



मासूम बच्ची और उसकी मां पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश किया।

नहीं रहा, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल गया।

सजा सुनाते समय अदालत की टिप्पणी ने हर किसी को भावुक कर दिया। न्यायालय ने कहा कि तेजाब हमला केवल शरीर को नहीं झूलसाता, बल्कि पीड़ित के भविष्य, उसके सपनों

और पूरे परिवार की खुशियों को भी खत्म कर देता है। यह ऐसा जख्म है जो जिंदगी भर रिसता रहता है।

विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार धृत ने बताया कि आरोपी को घटना के अगले ही दिन सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर की

मदद से गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत तरीके से प्रस्तुत करते हुए 17 गवाहों के बयान, 57 दस्तावेजी साक्ष्य और 6 महत्वपूर्ण वस्तुएं अदालत के समक्ष पेश की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय

■ **अजमेर की महिला उत्पीड़न अदालत ने आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया**

■ **इस निर्मम हमले ने एक बच्ची की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली थी**

ने पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को निर्देशित किया है कि उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके इलाज और पुनर्वास में मदद मिल सके।

मामले की त्वरित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच के लिए जीआरपी थाना चित्तौड़गढ़ के पुलिसकर्मियों, विशेषकर कांस्टेबल पवन और भूलजी की सराहना की गई। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर गवाहों को समय पर न्यायालय तक पहुंचाकर न्याय प्रक्रिया को मजबूती दी।

फोटो वायरल मामले में दो बंदी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जेल में गत दिनों हुई रोजा इफ्तार पार्टी और उसके फोटो वायरल होने का मामले में पुलिस ने दो बंदियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर फिर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। बंदियों ने पूछताछ में जेल में एक बंदी द्वारा मोबाइल उपलब्ध कराने की बात की है। फिलहाल इसमें अग्रिम जांच भी जारी है। रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि जोधपुर जेल में हुई रोजा इफ्तार पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर गत दिनों वायरल हुए थे, जिसमें एक प्रकरण दर्ज कराया था। घटना के संबंध में पुलिस ने दो बंदियों उदयपुर के अंबामाता सज्जन नगर निवासी करीम खां एवं इंडी नगर ओसियां निवासी नरपत इंडी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

हादसे में दो युवकों की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र डीजल शेड पर रात को सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका साथी घायल हो गया, जिसका एमडीएम अस्पताल में उपचार जारी है। बासनी पुलिस ने शवों को कार्रवाई कर परिजन के सुपुर्द किया। मृतक व घायल बाइक पर सवार थे और सामने लोडिंग टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। पुलिस अब गाड़ी नंबर से चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

बासनी थाने के एसएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि बिलाडी के संभाड़िया स्थित चौकीदारों का बास निवासी चैनाराम पुत्र डाडाराम ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि उसका पुत्र 20 वर्षीय राकेश, उसका साथी जितेंद्रराम नायक एवं महेंद्रराम अपनी बाइक पर सवार होकर बासनी डीजल शेड से निकल रहे थे। तब इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने एक टाटा मैजिक लोडिंग टैक्सी के चालक ने बाइक को चपेट में ले लिया। एसएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि को एंबुलेंस 108 की मदद से एमडीएम अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में राकेश और जितेंद्रराम नायक की मौत हुई है। इनका तीसरा साथी महेंद्रराम घायल है जिसका उपचार चल रहा है। शवों को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

शादी के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का खुलासा, दो महिलाएं गिरफ्तार

फर्जी शादी के बाद नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई थी दुल्हनें

हनुमानगढ़, (निर्सं)। शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं पूजा रानी (44) और निशा (22) को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रहिया कस्बे की निवासी हैं। आरोप है कि इन महिलाओं ने सुनियोजित तरीके से एक युवक को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंटे और बाद में नकदी व जेवर लेकर फरार हो गईं।

पक्का सारणा निवासी संतराम ने सदर थाना में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज

पशु चिकित्सकों के एन.पी.ए. पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने सरकार को मुद्दे पर पुनर्विचार करने

और 12 सप्ताह में फैसला करने के निर्देश दिये

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान में कार्यरत पशु चिकित्सकों की नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विनीत कुमार माथुर व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि सरकार 12 सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय ले।

वेतनरी एसोसिएशन, राजस्थान की ओर से दायर इस याचिका में प्रारंभ में वेतनमान और अन्य सुविधाओं में समानता की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से एनपीए देने के मुद्दे पर ही जोर दिया गया। याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि राज्य के पशु चिकित्सक

■ **प्रदेश में कार्यरत पशु चिकित्सकों को नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई**

अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड सहित कई स्थानों पर पशु चिकित्सकों को एनपीए दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 3 जून 2016 को जारी निर्देशों में भी राज्यों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा गया था। सातवें वेतन आयोग ने भी इस भत्ते की सिफारिश की है। राज्य सरकार की ओर से जवाब

में कहा गया कि एनपीए देना पूरी तरह नीतिगत निर्णय है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति और अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर निर्भर करता है। यह भी कहा गया कि सभी राज्यों में यह सुविधा लागू नहीं है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से लागू करना जरूरी नहीं है। हालांकि सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह इस विषय पर पुनः विचार करेगी।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था और केंद्र सरकार के निर्देशों को देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 12 सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय ले और यदि एनपीए देने से इंकार किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी अन्य मांगों को लेकर अलग से अध्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

नहर में मिले युवक के शव मामले में नया मोड़ आया

ट्रक ड्राइवर पर हत्या का आरोप, पिता की रिपोर्ट

पर मामला दर्ज

सूरतगढ़, (निर्सं)। सदर थाना क्षेत्र की राजकैनाल नहर में 19 मार्च को मिले युवक के शव के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पहले इसे अज्ञात शव मानते हुए मर्ग दर्ज की गई थी, लेकिन पहचान होने के बाद मृतक के पिता ने एक ट्रक ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार पंजाब के मलोत निवासी 24 वर्षीय मनदीप सिंह पुत्र संतोख सिंह का शव 19 मार्च को नहर में मिला था। उस समय नहर के पास खेत में काम कर रहे एक किसान जसकरण सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी तीन एलएलपी ने पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर मर्ग दर्ज कर

जांच शुरू की गई। बाद में शव की पहचान मनदीप सिंह के रूप में हुई और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था, परन्तु अब मृतक के पिता संतोख सिंह पुत्र फोजासिंह निवासी गल्ली नंबर 4, ट्रक युनियन के पीछे, मलोत (पंजाब) ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है।

जिसमे बताया गया है कि वह मलोत के विशाल कुमार वाट्स का ट्रक चलाता है और उसका बेटा मनदीप सिंह उसी ट्रक में खलासी का काम करता था। 17 मार्च को दोनों ट्रक में धर्मकोट के पास से रेत भरकर मुक्तसर गां थे और 18 मार्च को रेत खाली कर मलोत लौट रहे थे। रिपोर्ट

के अनुसार, मुक्तसर बाइपास पर लवप्रीत नाम का ट्रक ड्राइवर पहले से खड़ा मिला। मनदीप उससे मिलकर वापस आया और बाद में घर पहुंचने के कुछ देर बाद मोटरसाइकिल लेकर उससे मिलने चला गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने कई बार फोन किया, लेकिन कुछ समय बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। अगले दिन तलाश के दौरान मलोट में एक स्थान पर मनदीप की मोटरसाइकिल लॉक लगी अवस्था में खड़ी मिली। इसी दौरान मृतक के चाचा ने बताया कि उसने 18 मार्च की शाम करीब 5.30 से 6 बजे के बीच मनदीप को लवप्रीत के साथ उसके ट्रक में बैठे देखा था।

ओवरस्टे कर रही विदेशी महिला को शरण देने पर मामला दर्ज

अजमेर/ पुष्कर, (कासं)। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर जिले के पुष्कर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीआईडी जोन अजमेर की टीम ने ओवरस्टे कर रही थाईलैंड की महिला को शरण देने के मामले में होटल प्रबंधक और विदेशी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।

सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि पुष्कर स्थित एक होटल में एक फरवरी को थाईलैंड की नागरिक कन्याफाट

■ **होटल प्रबंधक और थाई नागरिक के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट में कार्रवाई की**

नोएन्होंग ठहरी थी। होटल प्रबंधन ने उसके ऑनलाइन सी फॉर्म में गलत वीजा नंबर दर्ज किया, जिससे उसके ओवरस्टे को छिपाया जा सके। जांच में सामने आया कि दर्ज किया गया वीजा नंबर किसी अन्य युगांडा नागरिक का था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि विदेशी महिला पिछले दो वर्ष से अधिक

पोस्टमैन पद पर कार्यरत हरियाणा के युवक ने आत्महत्या की

मसूदा, (निर्सं)। निकटवर्ती ग्राम बेगलियावास में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत युवक ने अज्ञात परिस्थितियों में फांसी लगाकर कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार हरियाणा निवासी प्रीतम पिछले कुछ समय में बेगलियावास में कार्यरत था एवं किराए के मकान में निवास करता था। उसने अज्ञात परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों को जानकारी मिलने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतराकर उप जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में सुरक्षित

रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने पर मृतक के पिता वीर सिंह पुत्र लाल जी राम निवासी निवासी भाण्डोला, पुलिस थाना सतनाली, जिला महेंद्र गढ़, हरियाणा ने पुलिस की दी रिपोर्ट में बताया कि कल सूचना मिली कि मेरा लड़का, डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था। हीरालाल के मकान में किराए पर रह रहा था। उसने कल दिन में रस्सी से गले में फंदा लगाकर फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया।

सुजानगढ़, (कासं)। शहर के निकटवर्ती ग्राम लोडसर में स्थित कालवा की ढाणी में घर में सो रही विवाहिता की अज्ञात व्यक्ति ने गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर सदर थानाधिकारी पुर्णेंद्र झाड़ाड़िया मौके पर पहुंचे। इसके बाद चुरू जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम भी घटना स्थल पर पहुंचे। सुजानगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार, वृत्ताधिकारी दरजाराम, थानाधिकारी पुर्णेंद्र झाड़ाड़िया ने चुरू एसपी निश्चय प्रसाद एम को घटना की जानकारी दी। मृतका चंदा मेघवाल की

ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत

बीकानेर, (निर्सं)। शहर के जयपुर रोड पर बुधवार सुबह सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक से आमने-सामने हुई भिड़ंत इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसा जयपुर रोड स्थित जैन ढाबा के पास हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक और स्कूटी के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और महिला दूर जा गिरी। सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही जेएनबीसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को पीबीएम हॉस्पिटल की इमरजेंसी से मोर्चरी में भिजवाया। मृतका की पहचान सविता महावर पत्नी मनोज महावर के रूप में हुई है, जो जयपुर रोड स्थित एक कॉलोनी की निवासी थी। वह अपने काम के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।

आत्महत्या के प्रयास में युवक ने खुद का गला रेता, हालत गंभीर

युवक ने घर की दीवार पर कोयले से सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें

उसने स्वेच्छा से आत्महत्या करना बताया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर हथियार से खुद का गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवक ने घर की दीवार पर कोयले से एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने स्वेच्छा से आत्महत्या करना बताया है।

जानकारी के अनुसार इंदरलाल गमेठी पुत्र शांतिलाल गमेठी निवासी तकियों का भीलवाड़ा, पिछले करीब

■ **बताया जा रहा है कि पूर्व में उसके पिता का निधन हो चुका था, मंगलवार को बड़े पापा की मौत हो जाने से वह सदमे में आ गया था**

डेढ़ माह से मानसिक रूप से परेशान था। बताया जा रहा है कि पूर्व में उसके पिता का निधन हो चुका था और

मंगलवार को उसके बड़े पापा की मौत हो जाने से वह गहरे सदमे में आ गया। घटना के बाद युवक ने खुद को घर में बंद कर लिया और घर में रखे धारदार हथियार से अपना गला काट लिया। आत्महत्या के प्रयास से पहले उसने घर की दीवार पर कोयले से सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या करना लिखा और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। युवक की कहराने आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजा

तोड़कर उसे बाहर निकाला। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे तुरंत गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से दीवार पर लिखा सुसाइड नोट भी मिला है जिसके आधार पर जांच की जा रही है।